रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01052023-245524
CG-DL-E-01052023-245524

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273]	**नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023/वैशाख 8, 1945**
No. 273]	**NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2023/VAISAKHA 8, 1945**

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/111/2017/डीडी/95/टीएएमसी/आईएनएफ/2017/डीसी/1224/2020.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने **सीए. वेंकटरमन राघवेंद्र (सदस्यता संख्या 009063), सी/ओ राघवेंद्रन, चेंतन नगर, कुम्पाला बाईपास कोएतकर पोस्ट, मैंगलोर (कर्नाटक) 575022,** को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् केवल 5,00,000/- (पांच लाख रुपए) रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया, जिसका संदाय 03 (तीन) मास की अवधि के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा । चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अत: अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड

अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **सीए. वेंकटरमन राघवेंद्र (सदस्यता संख्या 009063) का नाम 28 अप्रैल, 2023 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./55/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/111/2017/DD/95/TAMC/INF/2017/DC/1224/2020.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Venkatramana Raghavendra (Membership No. 009063), C/o Raghavendran, Chentan Nagar, Kumpala Bypass Koetkar Post, MANGALORE(Karnataka) 575022,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, imposed a fine of Rs. 5,00,000/-(Rupees Five Lakhs) only to be paid within 03(three) months and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed from the Register of Members for a period of 01(One) month. Since the Respondent has failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of said **CA. Venkatramana Raghavendra (Membership No. 009063)**, **shall stand removed for a period of 01(One) month with effect from 28th April, 2023.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./55/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042023-245523
CG-DL-E-28042023-245523

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023/वैशाख 8, 1945
No. 272] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2023/VAISAKHA 8, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/259/2017/डीडी/243/टीएएमसी/आईएनएफ/2017/डीसी/1100/2019.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने **सीए. गौतम घंटी (सदस्यता संख्या 060511), अग्रणी लेन, महिस्कापुर, प्लॉट बेनाचिटी, दुर्गापुर (पश्चिमी बंगाल) - 713213,** को पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग II 2 के खंड (1) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप अनुशासन समिति ने पूर्वोक्त नियमों के नियम 19(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् केवल 3,00,000/- (तीन लाख रुपए) रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया, जिसका संदाय 01 (एक) मास की अवधि के भीतर किया जाना है और अनुबंधित समय के भीतर संदाय में व्यतिक्रम की दशा में उसके नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा । चूंकि, प्रत्यर्थी अनुबंधित समय के भीतर अधिरोपित जुर्माने का संदाय करने में असफल रहा है, अत: अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट

विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **सीए. गौतम घंटी (सदस्यता संख्या 060511) का नाम 28 अप्रैल, 2023 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा ।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./54/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/259/2017/DD/243/TAMC/INF/2017/DC/1100/2019.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rule 18(17) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Goutam Ghanty (Membership No. 060511), Agrani Lane, Mahiskapur, Plot Benachity, DURGAPUR (West Bengal)- 713213,** guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (1) of Part II of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 19(1) of the aforesaid Rules, imposed a fine of Rs. 3,00,000/- (Rupees Three Lakhs) only to be paid within a period of 01 month and in case of default in payment of fine within stipulated time, his name be removed for a period of 1(One) month. Since the Respondent has failed to pay the imposed fine within stipulated time, in pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that the name of said **CA. Goutam Ghanty (Membership No. 060511)**, **shall stand removed for a period of 01 (one) month with effect from 28th April, 2023.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./54/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042023-245525
CG-DL-E-28042023-245525

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 274]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 28, 2023/वैशाख 8, 1945
No. 274]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2023/VAISAKHA 8, 1945

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/10/एन/2013/डीडी/9/एन/आईएनएफ/2013/बीओडी/275/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार संस्थान के अनुशासन बोर्ड द्वारा **सीए. प्रदीप कुमार मांगलिक (सदस्यता संख्या 072140), एस-505, दूसरी मंजिल, फ्लैट नंबर 2एफ, स्कूल ब्लॉक, विकास मार्ग, दिल्ली 110092,** को पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 22 के साथ पठित पहली अनुसूची के भाग I की खंड (11) और भाग IV की खंड (2) के अर्थान्तर्गत 'वृत्तिक और अन्य कदाचार' का दोषी पाया गया है और उसके पश्चात् पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का एक अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् **सीए. प्रदीप कुमार मांगलिक (सदस्यता संख्या 072140)** के नाम को 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और साथ ही केवल 1,00,000/- (एक लाख रुपए) रुपये का जुर्माना भी अधिरोपित किया । तत्पश्चात्, अनुशासन बोर्ड के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 22छ के निबंधनानुसार अपीलीय प्राधिकरण के

समक्ष अपील की. अपीलीय प्राधिकरण ने अपील सं.10/आईसीएआई/2022 में पारित अपने तारीख 26 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा अनुशासन बोर्ड द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है। इसके अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त **सीए. प्रदीप कुमार मांगलिक (सदस्यता संख्या 072140) का नाम 28 अप्रैल, 2023 से 03 (तीन) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।**

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./56/2023-24]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/10/N/2013/DD/9/N/INF/2013/BOD/275/2017: In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Pradeep Kumar Manglik (Membership No. 072140), S-505, 2nd Floor, Flat No. 2F, School Block, Vikas Marg, DELHI 110092,** guilty of 'Professional and Other Misconduct' falling within the meaning of Clause (11) of Part I and Clause (2) of Part IV of the First Schedule read with Section 22 of the aforesaid Act and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Pradeep Kumar Manglik (Membership No. 072140)** from the Register of Members for a period of 3(Three) months and also imposed a fine of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh) only. Thereafter, aggrieved by the Order of the Board of Discipline, the Respondent approached the Appellate Authority in terms of the provisions of Section 22G of the Chartered Accountants Act, 1949. The Appellate Authority in appeal no. 10/ICAI/2022 vide its Order pronounced on 26th March, 2023 upheld the Order passed by the Board of Discipline. In pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of said **CA. Pradeep Kumar Manglik (Membership No. 072140) shall stand removed from the Register of Members for a period of 03(Three) months with effect from 28th April, 2023.**

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./56/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA